


शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई  
2024 का संलग्नक:-

**विकल्प-पत्र**


1. नाम अरुण कुमार तृतीय
2. वर्तमान पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-8, मुरादाबाद।
3. वेतनमान 1,78,150 /-रु0( 1,44,840-194660, Level J-5)
4. वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- कार्मिक एवं न्याय विभाग( नियुक्ति अनुभाग-4) उ0प्र0 शासन लखनऊ
6. विज्ञप्ति की तिथि- दिनांकित 22-28 नवम्बर 2003 ( विज्ञापन सं. ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-26.05.2006 (सं. 2430/दो-4-06-32 (1)/ 2001 टी.सी.-1)
8. योगदान की तिथि- 14-06-2006
9. जन्मतिथि- 05-01-1971
10. सेवानिवृत्ति की तिथि-31-01-2031

मैं अरुण कुमार तृतीय पुत्र श्री सत्यपाल सिंह शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ और मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर   
नाम अरुण कुमार तृतीय  
पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
मुरादाबाद

**घोषणा-पत्र**

मैं अरुण कुमार तृतीय पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर   
नाम अरुण कुमार तृतीय  
पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
मुरादाबाद

**सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा**

श्री अरुण कुमार तृतीय पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति